राजस्थान–सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाष सं0 : 0141–2224878 **ई–मेलः rmsc.mnjy@gmail.com**

क्रमांकः एफ04(159)/एमएनजेवाई/बजट/2014–15/ 196 **दिनांकः** 15.4.15

अति–आवश्यक
प्रथम स्मरण पत्र

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः–मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत आवंटित बजट के पेटे उपयोग की गई राशि का व्यय विवरण एवं विवरणवार उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना दि0 17.04.15 को आयोजित लेखाधिकारी /सहायक लेखाधिकारी की मासिक बैठक में भिजवाने बाबत्।

संदर्भः–परिवर्तित बजट निर्णायक समिति (वर्ष 2014–15) की बैठक के निर्णय अनुसार एवं इस कार्यालय के पत्रांक 350 दिनांक 26.09.2014 के एवं कार्यालय पं0 169 दि0 26.03.15 के कम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के सफल संचालन व क्रियांवयन हेतु चिकित्सा संस्थानों के लिए समय–समय पर मुख्यालय से विभिन्न मदों (01 संवेतन, 12 ग्रांट इन एड, 18 मशीनरी एवं उपकरण) में राशि हस्तांतरित की गई है।

परिवर्तित बजट निर्णायक समिति (वर्ष 2014–15) की बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार आवंटित बजट राशि के नियमानुसार समयबद्ध उपयोग में लिये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। इस संबंध में दूरभाष पर व मौखिक रूप से भी आपको अवगत कराया जाता रहा है। आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में एमआरएस/संविदा/प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के व न्यायालय प्रकरण के अधीन कार्यरत रोगी सलाहकारों के मानदेय भुगतान समय पर व नियमानुसार किये जावें तथा एजेंसियों से नियमानुसार भुगतान दिलवाया जाना भी सुनिश्चित करें। जिससे इन कार्मिकों से संबंधित किसी भी प्रकार की न्यायालय अवमानना व शिकायत प्रकरण प्राप्त नहीं हों।

अतः योजनान्तर्गत आवंटित राशि का दिनांक 31 मार्च 2015 तक उपयोग की गई राशि का व्यय का ब्यौरा मदवार एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से ई–मेल rmsc.mnjy@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करावें तथा **निदेशालय में कं0 लेखा/बैठक/2015/748 दि0 30.03.15 के द्वारा दि0 17.04.15 को आयोजित लेखाधिकारी /सहायक लेखाधिकारी की मासिक बैठक में हार्डकापी** भी आवश्यक रूप से भिजवाये जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ04(159)/एमएनजेवाई/बजट/2014–15/ दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) को भेजकर लेख है कि आपके जाने के अधीन चिकित्सा संस्थानों को मुख्यालय द्वारा जारी किये गये बजट के 31.03.2015 तक पूर्ण उपयोग कराते हुए माह तक के व्यय विवरण अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें। तथा दिनांक 16.04.2015 तक जोन की रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर